(28)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर बैंच भोपाल म.प्र.

पुनरीक्षण-0690/2019/भोपाल/भू.रा. -

प्र. क्र. 1987/17

पन्नालाल . . . . . . पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

श्री श्याम राज सोनी मेसर्स हिलव्यू . . . प्रतिपुनरीक्षण कर्ता

अधि० द्वारा ओपचारिक केस पर प्रस्तुत। 28-5-19

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू. रा. सं.
पुनरीक्षण कर्ता की ओर से निम्न निवेदन है।

CF 29-5-19 केस

1 यह कि उक्त प्रकरण आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति हेतु नियत था।

2 यह कि पुनरीक्षण कर्ता गाँव मे निवास करता है तथा पुनरीक्षण कर्ता पेशी पर उपस्थित नही हो सकता है। पुनरीक्षण कर्ता की ओर से अधिवक्ता लेकिन हर पेशी पर पुनरीक्षण कर्ता की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते रहे हैं।

3 यह कि पुनरीक्षण कर्ता के अधिवक्ता आज माननीय न्यायालय के समक्ष 1.30 बजे उपस्थित हुए तो पता चला की प्रकरण पुकार के समय कोई उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता जिला न्यायालय से यहां तक आने मे विलंब होने से जो विलंब जान बूझकर नही किया गया है।

4 यह कि उक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जा कर प्रकरण को सुनवाई मे लिया जावे।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि पुनरीक्षण कर्ता का यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जा कर प्रकरण को पुनः नंबर मे लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

भोपाल
दिनांक :- 28-5-19

पुनरीक्षणकर्ता
द्वारा
अधिवक्ता
S.R. Sonkiya
9893231706

मूल आवेदन पत्र - 0690/2019/भोपाल/कृष्णा पन्नालाल/ मे. हिल्वेज कं.

(4)

23-7-19 आवेदक अभि. श्यामराज मेहनी उपस्थित। प्रकरण तर्क हेतु।

cf - 27-8-19

आज्ञा से

27-8-19 आवेदक की ओर से कोई उप० नहीं। आवेदक व उनके अभि० को समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। परन्तु कोई उप० नहीं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष